गुरु घासीदासविश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र.25 अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 53 /बै.प्र./**2024** बिलासपुर, दिनांक :29-02-2024

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
विद्यापरिषद की स्थायी समिति,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

–––0–––

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत, दिनांक 29.02.2024 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 175वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

आदेशानुसार

29/02/24

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ0 क्रमांक 54 /बै.प्र./**2024** बिलासपुर, दिनांक :29.02.2024

प्रतिलिपि :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव–अकादमिक/प्रशासन/विकास/प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

29/02/24

कुलसचिव (कार्यवाहक)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 को प्रातः 10:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
11.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
12.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
13.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
14.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
15.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो0 ए.एस. रणदिवे
2. प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में कहा कि किसी भी चीज को अंगीकार करने से पहले गहन चिंतन एवं मंथन आवश्यक है। उपयुक्त को स्वीकार करना चाहिए और अनुपयुक्त से किनारा कर लेना चाहिए। यदि आपके व्यक्तिगत हित व संस्थान के हित में टकराव होने लगे, तो समझ लीजिए कि मार्ग सही नहीं है। कोई व्यक्ति यदि स्वयं को संस्थान से ऊपर समझने लगे, तो पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीवन में सबसे बड़ा मूल्य है– मानव मूल्यों की रक्षा करना। उन्होंने आह्वान किया कि अपने भीतर के तत्वों को पहचानते हुए आप सभी को अपना श्रेष्ठतम देना है। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 17.02.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 17.02.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

29/02/2024

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 17.02.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 174वीं बैठक दिनांक 17.02.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. **अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 20.01.2024 में गणित विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.एससी. 04 वर्षीय अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 20.01.2024 में गणित विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.एससी. 04 वर्षीय अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04. **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 20.02.2024 में दिये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 20.02.2024 में दिये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं अनुशंसानुसार कक्षायें 12 मार्च, 2024 से प्रारम्भ की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक विद्यापीठ एक माह के भीतर न्यूनतम एक MOOCs पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

यह और भी निर्णय लिया गया कि आगामी सेमेस्टर में वर्तमान में उपलब्ध MOOCs पाठ्यक्रमों में संबंधित विभाग कम से कम एक पाठ्यक्रम में सभी छात्र/छात्राओं का पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्पूर्ण निर्णयों का समन्वयन MOOCs समन्वयक करेंगे एवं आगामी बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 05. **प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, का ईयू (यूरोपियन यूनियन) पोर्टल में रिसर्च कोलेबोरेशन हेतु सीईटीईएमईटी केन्द्र, स्पेन से रजिस्ट्रेशन करने बाबत्।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, का ईयू (यूरोपियन यूनियन) पोर्टल में रिसर्च कोलेबोरेशन हेतु सीईटीईएमईटी केन्द्र, स्पेन से रजिस्ट्रेशन कराने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06. **बी.टेक द्वितीय वर्ष में Lateral Entry के तहत प्रवेश हेतु संशोधित अध्यादेश के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.टेक द्वितीय वर्ष में Lateral Entry के तहत प्रवेश हेतु अध्यादेश क्रमांक–95 के सुसंगत पैरा में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हुए अध्यादेश संशोधन संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 07. **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 27.02.2024 में दिये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 27.02.2024 में दिये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं पुनरीक्षित मैपिंग एनटीए को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाय।

29/02/24 29/02/2024

Mcell~I\SC\..\SC 29-02-2024

विषय क्र. 08. **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सीट संख्या वृद्धि के संबंध में सूचना ग्रहण संबंधी।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सीट संख्या में प्राप्त प्रस्तावानुसार सीट वृद्धि संख्या 60+15 (EWS) = 75 के स्थान पर 90+22 (EWS) = 112 पढ़ा जाय। तदानुसार ज्ञाप जारी किया जाय।

विषय क्र. 09. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Indian Institute of Technology, Bhilai के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Indian Institute of Technology, Bhilai के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 10. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Bhartiya Jain Sanghatana, Raipur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Bhartiya Jain Sanghatana, Raipur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि समझौता ज्ञापन का क्रियान्वयन सलाहकार समिति के माध्यम से ही किया जाय। सलाहकार समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को चार राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड) के संयुक्त प्रयोग हेतु Scientific Equipment Consortium बनाने के प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :– दिनांक 02 फरवरी 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मध्यप्रदेश में सम्पन्न हुए सेंट्रल ज़ोन कुलपति सम्मेलन में यू.जी.सी. के चेयरमेन प्रो0 एम. जगदीश कुमार के निर्देशानुसार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को चार राज्यों छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड के संयुक्त प्रयोग हेतु एक Scientific Equipment Consortium का केन्द्र बनाया गया है।

उक्त हेतु कुलसचिव गुरू घासीदास विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न चार राज्यों के केन्द्रीय, राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुलसचिव को Scientific Equipment Consortium में सहभागिता हेतु सहमति प्राप्त करने पत्र भेजा जायेगा। साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर इस हेतु वेब पोर्टल तैयार करने के लिए समिति गठित करने एवं Scientific Equipment Consortium का समन्वयक नामित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

29/02/2024 — 29/02/2024

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव — **कुलपति / अध्यक्ष**